

न्यायालय:श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक-1003 / 2012

संस्थित दिनांक-07.12.2012

फाईलिंग नं.234503001982012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

-----अभियोजन

// विरुद्ध //

1.संतोष पिता गजानंद टांडिया, उम्र-36 वर्ष, निवासी ग्राम गढ़ी थाना गढ़ी,  
तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

2.गजानंद पिता सोहनलाल टांडिया, उम्र-63 वर्ष,  
निवासी ग्राम गढ़ी, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-13 / 07 / 2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294, 323 / 34, 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि उन्होंने फरियादी कीर्तिचंद को दिनांक-07.10.2012 को करीब 12:40 बजे ग्राम गढ़ी में मस्जिद के पास जब वह रिपोर्ट करके वापस आ रहा था, तब जिस दिशा में फरियादी को जाने का अधिकार था उस दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया, फरियादी कीर्तिचंद को अश्लील शब्द "मादरचोद, बहनचोद" उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, उपहति कारित करने के आशय से सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर हाथ-मुक्कों तथा लाठी से फरियादी कीर्तिचंद को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कीर्तिचंद ने दिनांक-07.10.2012 को पुलिस थाना गढ़ी आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम पटेलटोला गढ़ी में रहता है। सुबह लगभग 09:00 बजे गजानंद टाण्डे

उसके घर आया था और बोल रहा था कि तुम लोग दादागिरी करते हो मैं तुम्हें बताता हूँ जिसकी वह थाने पर रिपोर्ट कर घर वापस आ रहा था तभी संतोष टाण्डे ने उसका रास्ता रोका और गढ़ी मस्जिद के पास ले गया और वहाँ गजानंद टाण्डे, नीतेश टाण्डे ने उसे मादरचोद, बहनचोद की गंदी-गंदी गालियाँ दी तथा संतोष ने लकड़ी से बांये पैर, सिर पर दाहिने तरफ मारा था। गजानंद टाण्डे, नीतेश ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-57/2012 अंतर्गत धारा-341, 294, 323/34 एवं 506 भाग-दो भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी गवाह जप्ती पत्रक के आधार पर दोनों आरोपीगण के खिलाफ धारा सदर का अपराध पाये जाने से आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 294, 323/34, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा है। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने फरियादी को दिनांक-07.10.2012 को करीब 12:40 बजे ग्राम गढ़ी में मस्जिद के पास जब वह रिपोर्ट करके वापस आ रहा था, तब वह जिस दिशा में फरियादी को जाने का अधिकार था उस दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी कीर्तिचंद को अश्लील शब्द "मादरचोद, बहनचोद" उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित करने के आशय से सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर हाथ-मुक्कों तथा लाठी से फरियादी कीर्तिचंद को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
4. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

**विचारणीय बिन्दु कमांक-2 का निष्कर्ष :-**

5— अभियोजन साक्षी कीर्तिचंद (अ.सा.1) ने कहा है कि घटना उसके बयान देने के डेढ़ वर्ष पूर्व की है। आरोपीगण ने उसे हिजड़े की औलाद लेकर आओ कहा था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना गढ़ी में की थी। अभियोजन साक्षी सुधीर शांडिल्य (अ.सा.2) ने आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां दिये जाने के विषय में अपने न्यायालयीन परीक्षण में कोई कथन नहीं किये हैं। प्रकाशचंद (अ.सा.3) व अनूप बंदेश्वर (अ.सा.4), नितेश (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि आरोपीगण व फरियादी के बीच में विवाद हो रहा था। अश्लील गाली दिये जाने के विषय में साक्षीगण ने कोई कथन नहीं किये हैं। शेष अभियोजन साक्षियों के कथनों से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हो रहा है जिससे कि यह माना जा सके की आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक को फरियादी को अश्लील गालियां दी गई थी और उसे अश्लील गालियां सुनकर क्षोभ कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

**विचारणीय बिन्दु कमांक-1 व 4 का निष्कर्ष :-**

6— फरियादी कीर्तिचंद (अ.सा.1) ने कहा है कि घटना उसके बयान देने के डेढ़ वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को आरोपी संतोष उसे चौराहे पर मोटरसाईकिल पर बैठाकर दुकान ले गया, जहां आरोपीगण ने उसके साथ

मारपीट की। फरियादी कीर्तिचंद के न्यायालयीन परीक्षण से प्रकट है कि फरियादी अपनी ईच्छा अनुसार आरोपी संतोष के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर गया था। उसे जबरदस्ती किसी दिशा में जाने से निवारित किया जाकर आरोपी संतोष उसे अपने साथ नहीं ले गया था।

7— अभियोजन साक्षी सुधीर शांडिल्य (अ.सा.2), अनूप बंदेश्वर (अ.सा.4), नितेश (अ.सा.5) के न्यायालयीन परीक्षण से ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हो रहे हैं, जिससे यह धारणा की जा सके की घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी कीर्तिचंद को किसी दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया।

8— अभियोजन साक्षी कीर्तिचंद (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में आरोपीगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिये जाने अथवा की धमकी सुनकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित होने के विषय में कोई कथन नहीं किये हैं। मौके पर उपस्थित साक्षी सुधीर शांडिल्य (अ.सा.2), प्रकाशचंद (अ.सा.3), अनूप बंदेश्वर (अ.सा.4), नितेश (अ.सा.5) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह नहीं कहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसे सुनकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित हुआ। उपरोक्त साक्षी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं और उन्होंने स्वयं और उनके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया जाने से आरोपीगण के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 506 भाग-2 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-341, 506 भाग-2 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

### **विचारणीय बिन्दु कमांक-3 का निष्कर्ष :-**

9— अभियोजन साक्षी कीर्तिचंद (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके बयान देने के डेढ़ वर्ष पूर्व दिन के 10-11 बजे की है। आरोपी संतोष उसे मोटरसाईकिल पर बैठाकर दुकान ले गया था, जहां आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी, जिससे उसे सिर में दाएं तरफ व सीने में एवं जांघ में चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ी में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल

का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी गजानंद की आयु 70 वर्ष है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने आरोपी गजानंद के साथ धक्का-मुक्की के विषय में गजानंद द्वारा थाना गढ़ी में रिपोर्ट लिखाई थी।

10— अभियोजन साक्षी सुधीर शांडिल्य (अ.सा.2) ने यह कहा है कि घटना उसके बयान देने के लगभग एक वर्ष पूर्व सुबह 8 बजे की है। फरियादी का मीटिंग में नहीं आने की बात को लेकर आरोपी गजानंद से विवाद हुआ था तथा धक्का-मुक्की में दोनों जमीन पर गिर गए थे, जिससे प्रार्थी को चोट आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी गजानंद ने हाथ-मुक्कों से तथा आरोपी संतोष ने बांस की लकड़ी से फरियादी कीर्तिचंद के साथ मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि दोनों ही पक्ष आपस में लामा-झूमी कर रहे थे, जिससे वे जमीन पर गिर गए और फरियादी कीर्तिचंद को गिरने से पत्थर लगने से चोट आई थी।

11— अभियोजन साक्षी प्रकाशचंद (अ.सा.3) ने कहा है कि घटना उसके बयान देने से एक वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को आरोपीगण तथा फरियादी कीर्तिचंद का झगड़ा हुआ था और दोनों ही पक्ष एक-दूसरे के साथ मारपीट कर गाली-गलौज कर रहे थे। उसने देखा था कि फरियादी कीर्तिचंद के मस्तिष्क में चोट आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी गजानंद ने हाथ-मुक्कों से एवं आरोपी संतोष ने बांस की लकड़ी से कीर्तिचंद के साथ मारपीट की थी, जबकि प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह देख नहीं पाया था कि कीर्तिचंद को चोट कैसे आई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि फरियादी को विवाद में पत्थर पर गिर जाने से चोट आई थी।

12— अभियोजन साक्षी अनूप बंदेश्वर (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना उसके बयान देने से डेढ़ वर्ष पूर्व की है। उसे कीर्तिचंद ने फोन से बताया था कि उसका आरोपी गजानंद से झगड़ा हुआ था।



अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ मारपीट की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके समक्ष विवाद नहीं हुआ था।

13— अभियोजन साक्षी नितेश (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक को वह ग्राम गढ़ी से अपने घर जा रहा था तथा फरियादी कीर्तिचंद व आरोपी गजानंद के बीच विवाद हो रहा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने मिलकर फरियादी कीर्तिचंद के साथ मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के विषय में पुलिस ने पूर्व में उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन साक्षी अनूप बंदेश्वर (अ.सा.4) ने अपने समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी होने से इंकार किया है।

14— अभियोजन साक्षी दिनेश पॉल (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-07.10.12 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी कीर्तिचंद की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-57/12, धारा-341, 254, 506, 323/34 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-08.10.12 को कीर्तिचंद की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी कीर्तिचंद, साक्षी सुधीर, प्रकाशचंद एवं दिनांक-28.11.12 को अनूप, नितेश के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-28.11.12 को आरोपी संतोष से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 अनुसार एक बांस की लकड़ी जप्त किया था, जिसके बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 एवं 8 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने विवेचना की संपूर्ण कार्यवाही थाने पर बैठकर अपने मन से की थी।

15— प्रकरण में अभियोजन कहानी अनुसार फरियादी कीर्तिचंद के साथ आरोपीगण द्वारा हाथ-घूंसों से तथा लकड़ी से मारपीट की गई थी। फरियादी कीर्तिचंद ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि आरोपीगण ने हाथ-मुक्कों तथा डण्डे से उसके साथ मारपीट की थी। फरियादी के कथनों का समर्थन साक्षी सुधीर शांडिल्य (अ.सा.2) ने नहीं किया है। उसने कहा है कि फरियादी एवं आरोपीगण के बीच में धक्का-मुक्की हुई थी, जिससे दोनों जमीन पर गिर गए थे। इसी प्रकार आरोपीगण द्वारा स्वेच्छया फरियादी के साथ मारपीट की गई हो यह बात अभियोजन साक्षी सुधीर शांडिल्य (अ.सा.2) के कथनों से प्रकट नहीं हो रही है।

16— अभियोजन साक्षी प्रकाशचंद (अ.सा.3) ने कहा है कि आरोपीगण एवं फरियादी आपस में गाली-गलौज कर रहे थे और दोनों ही पक्ष एक-दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे। अभियोजन साक्षी अनूप बंदेश्वर (अ.सा.4) ने कहा है कि घटना उसके सामने नहीं हुई थी। अभियोजन साक्षी नितेश (अ.सा.5) ने कहा है कि आरोपी गजानंद फरियादी कीर्तिचंद के बीच में घटना दिनांक को विवाद हो रहा था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट की थी।

17— विवेचक ने विवेचना की कार्यवाही को न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है, परंतु प्रकरण में चिकित्सक साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है। फरियादी कीर्तिचंद ने स्वीकार किया कि घटना के विषय में आरोपी गजानंद ने उसके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट की थी और उसके विरुद्ध भी प्रकरण चला था। अन्य अभियोजन साक्षी सुधीर शांडिल्य (अ.सा.2), प्रकाशचंद (अ.सा.3) के न्यायालयीन परीक्षण से प्रकट हो रहा है कि दोनों ही पक्ष द्वारा एकदूसरे के साथ विवाद किया जाकर मारपीट की गई थी, जिससे यह प्रकट हो रहा है कि आरोपीगण द्वारा स्वेच्छया फरियादी कीर्तिचंद के साथ मारपीट नहीं की गई थी एवं विवाद होने पर दोनों ही पक्ष द्वारा एकदूसरे के साथ धक्का-मुक्की की गई थी और इस धक्का-मुक्की में फरियादी कीर्तिचंद को चोट आई थी। उपरोक्त स्थिति में आरोपीगण के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 का

अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

18- आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

19- प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

20- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया।  
किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/-

बैहर  
दिनांक-13.07.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, म0प्र0